

कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कोलेबिरा।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 01/2020-21

समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से निर्मांकित कार्य के लिए परिमाण विपत्र पर मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है -

योजना विभाग, सिमडेगा

विभाग		योजना विभाग, सिमडेगा	
1	विज्ञापनदाता का नाम	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यालय, कोलेबिरा।	
2	परिमाण विपत्र क्रमांक की तिथि	दिनांक 15.01.2021 (कार्यालय अवधि में)।	
3	निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 16.01.2021 को अपराह्न 1.00 बजे तक।	
4	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 16.01.2021 को अपराह्न 3.00 बजे।	
5	परिमाण विपत्र के विक्री का स्थान	प्रखण्ड कार्यालय, कोलेबिरा।	
6	निविदा प्राप्ति का स्थान	प्रखण्ड कार्यालय, कोलेबिरा।	
7 कार्य की विवरणी			

क्र०सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रचन की राशि	परिमाण विपत्र मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1	कोलेबिरा प्रखण्ड कार्यालय भवन के सामने फेर्स ब्लॉक पथ का निर्माण	13,30,100	27000.00	5000.00	3 माह
2	कोलेबिरा प्रखण्ड कार्यालय परिसर का वाइरिंग/वासी निर्माण	22,36,000	45000.00	5000.00	3 माह


निविदा शर्तें-

विशेष शर्त आम शर्तों पर अवकाश होगा।

परिणाम विपत्र कथ हेतु निर्मांकित शर्तों को पुरा करना होगा।

- 1 भवन निर्माण, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल एवं ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधित संवेदक ही निविदा में हिस्सा ले सकेंगे। परिमाण विपत्र के क्रय हेतु निबंधन पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2 परिमाण विपत्र का मूल्य (जो वापस नहीं होगा) राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट होगा जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कोलेबिरा के पदनाम से देय होगा।
- 3 कार्य आवंटन में स्थानीय संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 4 कार्य आवंटन में समुचित श्रेणी के संवेदकों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
- 5 निविदादाता को योजना से संबंधित Work programme देना अनिवार्य होगा।
- 6 किसी भी परिस्थिति में योजना प्राक्कलन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।
- 7 निविदा के साथ जमा की जानेवाली अग्रचन की राशि जो परिमाण विपत्र में अंकित है डाकघर के 05 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र या 3/5 वर्षीय की डाकघर सावधि जमा पासबुक या बैंक सावधि जमा पासबुक समर्पित करना अनिवार्य होगा, जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कोलेबिरा के पदनाम से प्रतिलिखित होगा।
- 8 निविदा हेतु निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 9 जीजल, पेयजल अथवा कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों की कीमत में वृद्धि होने पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- 10 निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम नजदूरी का मुआवजा करना अनिवार्य होगा।

- 11 निर्माण कार्य में उपयोग हेतु लघु खनिजों की आपूर्ति संवेदक को वैद्य श्रेष्ठ से सुनिश्चित करना अनिवार्य है, एवं एतद विषयक खनिज विभाग द्वारा जारी स्थानित अदायगी से संबंधित स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 12 वाणिज्य गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री यथा - सीमेन्ट, छड़, मिट्टी, बालू इत्यादि निर्माण सामग्री की व्यवस्था भी संवेदक को अपने स्तर पर आपूर्ति करनी होगी। प्रखण्ड कार्यालय किसी भी निर्माण सामग्री की व्यवस्था नहीं करेगी न ही किसी अन्तर मूल्य का भुगतान किया जाएगा।
- 13 परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि से 10 प्रतिशत कम दर से नीचे का दर मान्य नहीं होगा।
- 14 निविदादाता किल्ले कार्य आवंटित होगा वे कार्य सफल नहीं करेंगे।
- 15 कार्य आवंटित होने के पश्चात् सात दिनों के अन्दर एकांतरनामा प्रस्तुत कर कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा निविदा को रद्द कर अग्रचन की राशि जल्द कर ली जाएगी।
- 16 शिना कारण बताये ये सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार या एक से अधिक संवेदक को कार्य आवंटन का अधिकार अगोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
- 17 निविदा के साथ आवार कार्ड, अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 रिटर्न प्रमाण पत्र (03 वर्षों का) एवं पेन कार्य की अभिलेखित संतान करना अनिवार्य होगा।
- 18 निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व ही कार्य एवं कार्यस्थल की जानकारी प्राप्त कर सतुष्ट हो लेंगे।
- 19 समय पर कार्य पूर्ण करने पर नियमानुसार राशि की कटौती कर ली जाएगी, विशेष परिस्थिति में ही समय वृद्धि मान्य होगा।
- 20 01 प्रतिशत राशि तैवर शेष वेतकथर फण्ड हेतु विपत्र से कटौती किया जाएगा, जो वापस देय नहीं होगा।
- 21 आवार एवं विकी कर की राशि विपत्र से नियमानुसार कटौती की जायेगी जिसका समर्पण एवं वापसी का प्रक्रिया संबंधित विभाग से भी करा सकेंगे।
- 22 योजना प्रारंभ करने से पूर्व, योजना के कार्यान्वयन के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के उपरान्त स्थल का Geotagged फोटोग्राफी करकर संवेदक तीन-तीन प्रतिनों में कार्यालय में (अपनी लागत से) समर्पित करेंगे।
- 23 कार्यान्वयन की जा रही योजना का स्थल पर सुगोचक स्थान पर एक सूचना पट्ट लगाया जाएगा जिसमें योजना का नाम एवं पूरी विवरणी अंकित की जाएगी।


 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
 कोलंबिया।


 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
 कोलंबिया।

89-0121

आयाक _____ /दिनांक _____ /
 पतिलिपि:- जिला योजना पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचना एवं प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- उपायुक्त, सिमडेगा को सादर सूचना एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित।